II-157
C.J.

Witness No---01----for-----------Prosecution --------Deposition taken on the---15th ----day of -May 2019 -Witness apparent age- 63year

States on affirmation that-----My name is-- ....खेदुराम यादव..

S/of – श्री मिलउ यादव..---occupation- ....सब्जी बेचना...

address——-..भवानी नगर, बोरियाखुर्द थाना टिकरापारा, रायपुर छ0ग0

1– मैं न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को पहचानता हूं। घटना लगभग दस माह पूर्व रात के 11:00 बजे के आसपास की है, निश्चित तिथि मुझे आज याद नहीं है। मैं खाना खाकर टहलने के लिए निकला था तो शिव मंदिर के पास तीन चार लडके बैठे थे, मैं उनके पास गया, तभी तीन लडके आरडीए कालोनी की तरफ से मोटरसायकल पर आए। वे लोग गालीगलौज करते आ रहे थे तो गजाधर ने उन्हें गालीगलौज करने से मना किया। जिस पर वे मोटरसायकल से उतरकर गजाधर बातचीत करने लगे, उसके बाद गाली गलौज करने लगे और फिर चाकु से मारने की धमकी देने लगे। उसके बाद उनमें से एक लडके ने गजाधर के गले पर चाकु का वार किया, परंतु गजाधर के झुक जाने के कारण वह चाकु उसके दांयी आंख के पास लगा था।

टीप :– न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि न्यायालय मे उपस्थित आरोपीगण में से किस आरोपी ने चाकु का वार किया था तो साक्षी ने कटघरे के पास जाकर आरोपी मोहम्मद अफसर को हाथ लगाकर बताया कि इस आरोपी ने चाकु का वार किया था।

2– उसके बाद राजेश मोटरसायकल पर घटना स्थल पर पहुंच गया तो आरोपीगण में से तीन आरोपी, राजेश एवं राकेश के साथ झगडा करने लगे, फिर उनमें से एक ने राजेश को चाकु मार दिया। भीड होने के कारण मै यह नही देख पाया कि आरोपीगण में से किसने राजेश को चाकु मारा था। उसके बाद राजेश के घर वाले वहां पर पहुंच गए और उसे वी वाय हास्पीटल ले गये, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। उसके पश्चात उन तीन आरोपियों मे से दो आरोपी वहां से भाग गये और एक वहीं खडा रहा। जो दो लोग भागे थे,

Witness No---01----for-----------Prosecution --------Deposition taken on

उन्होंने फोन करके और लोगो को बुला लिया, जिस पर चार पांच लडके वहां पर और आ गए और राजेश की मां रूपा के साथ मारपीट करने लगे और उसके बाद मेरे सिर पर डंडे से वार किया तथा ईटों से चोट पहुंचायी। मेरे सिर में दस टांके लगे थे। उसके बाद घटना स्थल पर पुलिस आ गयी और हमे मेकाहारा हास्पीटल ईलाज हेतु लेकर आ गयी।

3– मेरे सामने पटवारी ने घटना स्थल का नजरी नक्शा तेयार किया था। जो नजरी नक्शा प्रपी 1 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

4– न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि आपको एव रूपा को चोटें किस आरोपी ने पहुचायी थी तो साक्षी कटघरे के पास जाकर मोहसिन खान की तरफ इशारा करके बताया कि इसने मुझे एवं रूपा को चोटें पहुंचाया है।

5– राजेश धीवर को जिस आरोपी ने चाकु मारा था, मै उसका नाम नही जानता हूं। पुलिस ने मुझसे घटना के विषय मे पूछताछ कर मेरा बयान लिखा था।

नोटः– इसी स्तर पर अतिरिक्त लोक अभियोजन द्वारा निवेदन किया गया कि साक्षी सत्यता छिपा रहा है इसलिए उसको पक्षविरोधी घोषित किया जाये । प्रकरण के अवलोकन उपरांत साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है तथा अतिरिक्त लोक अभियोजक को साक्षी के प्रतिपरीक्षण के अनुमति प्रदान की जाती है।

6– यह कहना सही है कि मैने पुलिस को यह बताया था कि आरोपी शब्बु ने राजेश धीवर को चाकु मारा है। मैने अपने पुलिस कथन मे यह नही बताया था कि आरोपी शब्बु खान, मो सलीम, मो बशीर चिस्ती, मो इशान, मो अख्तर और मोहसिन खान ने मिलकर जान से मारने की नियत से राजेश धीवर के पेट मे चाकु मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाया था।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री के के दीक्षित अधि वास्ते अभियुक्त शाहबाज खान, मोहसिन खान एवं मो. ईशान

7– मै अनपढ हूं। मुझे मेकाहारा हास्पीटल से उसी दिन रात को डिस्चार्ज कर दिया गया था। पुलिस ने मेरा बयान एवं फोटो घटना से दूसरे दिन लिया था। यह कहना सही है

Witness No---01----for-----------Prosecution --------Deposition taken on

कि मै अनपढ होने के कारण यह नही जानता कि मेरे बयान मे क्या लिखा है। मुझे मेरा बयान किसी ने पढकर नही समझाया है। यह कहना गलत है कि मैने पहले चाकु मारने वाले किसी अन्य आरोपी का नाम बताया था तथा बाद मे शब्बु का नाम जोड दिया है। यह कहना सही है कि भीड होने के कारण मैने यह नही देखा कि किस आरोपी ने किसे क्या मारा। स्वतः कहा कि देखा हूं, चेहरे से पहचान सकता हूं।

8– घटना स्थल का नक्शा पटवारी ने लगभग एक माह बाद तैयार किया था। पटवारी ने मुझे यह नही बताया था कि उसने नक्शा मे क्या लिखा है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री फैसल रिजवी अधि वास्ते अभियुक्त मो अफसर, सलीम

9– यह कहना सही हैकि घटनास्थल एक मेन रोड है और वहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। यह कहना सही है कि जिन लडको ने झगडा किया था, मैने उस दिन से पहले उन्हें कभी नही देखा था। मैं पुलिस थाना कभी नही गया हूं। पुलिस ने मुझसे पूछताछ अस्पताल मे भी की थी और मेरे घर पर भी की थी। मेरा केवल दो बार बयान हुआ है। घटना के तीसरे दिन पुलिस ने मेरा बयान मेरे घर पर आकर लिया था। पुलिस ने आरोपीगण की कोई पहचान कार्यवाही मुझसे नहीं करवायी थी। जिन लोगों ने घटना कारित की थी, मैं उनके नाम घटना दिनांक को भी नहीं जानता था और आज भी नही जानता हूं। मैने पुलिस को आरोपीगण का नाम नही बताया था।

10– मैने अपने पुलिस कथन में मै यह बताया था कि गजाधर को चाकु उसके दांयी आंख के पास लगा था। यदि मेरे पुलिस कथन प्रडी 1 मे दांयी आंख का उल्लेख नही है तो मै इसका कोई कारण नही बता सकताहूं। मैने पुलिस को गजाधर को चाकु मारने वाले आरोपी का नाम नही बताया था। यह कहना सही है कि घटना रात की है। स्वतः कहा कि काफी लाईटे जल रही थी। मैंने पुलिस को यह बताया था कि घटना स्थल पर लाईटें जल रही थी। मैने अपने पुलिस कथन प्रडी 1 मे यह बता दिया था किघटना स्थल पर लाइटे जल रही थी, यदि मेरे पुलिस कथन प्रडी 1 मे यह उल्लेखित नही है तो मै उसका कारण नही बता सकता हूं।

II-157
C.J.

Witness No---01----for-----------Prosecution --------Deposition taken on

11– यह कहना सही है कि मै गवाही हेतु कल भी आया था और आरोपीगण को कल भी देखा था। यह कहना सही है कि मेरे साथ मेरे गांव वाले भी आए हुए है। यह कहना गलत है कि गजाधर को जब चाकू मारा गया तो आरोपी मो अफसर वहां पर उपस्थित नहीं था। यह कहना गलत है कि मेरे साथ जो अन्य व्यक्ति आए है, उनके कहने से मै आरोपी मो अफसर का नाम ले रहा हूं। यह कहना गलत है कि आरोपीगण घटना के समय वहां पर उपस्थित नहीं थे। यह कहना गलत है कि नक्शा प्रपी 1 तैयार करते समय मै पटवारी के साथ नहीं था। यह कहना गलत है कि मैने इस मुकदमे में अपना वकील नियुक्त किया है।यह कहना गलत है कि हम सब ने मिलकर पुलिस को झूठे कथन दिये है और आज न्यायालय मे भी मै झूठा कथन कर रहा हूं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री किशोर मिश्रा अधि वास्ते अभियुक्त बशीर चिश्ती

12– प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिपरीक्षण नही करना व्यक्त किया गया।

वांचित / स्वीकृत

(सुरेश जून)
प्रथम अति.सत्र न्यायाधीश
के द्वितीय अति. न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(सुरेश जून)
प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश
के द्वितीय अति. न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी के हस्ताक्षर.....................................

<u>II-157</u>
C.J.

Witness No---01----for-----------Prosecution --------Deposition taken on

।